

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मई २०२१ माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को दिनांक 04.05.2021 की गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

(ii) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक के रूप में श्री सुबोध कुमार जायसवाल, आईपीएस (एमएच-1985) की नियुक्ति को आदेश संख्या 202/15/2020-AVD.॥ दिनांक 25-05-2021 के तहत अधिसूचित किया गया था।

(iii) सभी के लिए प्रशिक्षण (टीएफए) योजना के तहत राज्य श्रेणी प्रशिक्षण कार्यक्रम (एससीटीपी) घटक के तहत 346 पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम (टीडीपी) घटक के तहत 46 पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए 17 राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) को 4,79,09,000/- रुपये की राशि दी गई है।

(iv) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा मानव संसाधन मंत्रालय के दीक्षा (DIKSHA) मंच पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद से कोविड-19 पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। अभी तक, 18 नए कोर्स बनाए गए हैं और उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ पैनल को समीक्षा हेतु भेजा गया है। दिनांक 24.05.2021 को मंच (प्लेटफॉर्म) का विस्तृत पूर्वाभ्यास किया गया।

2. उपरोक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण भी जारी किए गए:-

- (i) कोविड महामारी के दौरान, किसी भी चिकित्सा प्रणाली में मान्यता प्राप्त अर्हताएं रखने वाले केन्द्र सरकार के कार्मिकों द्वारा धर्मार्थ आधार पर चिकित्सा-कर्म को का.ज्ञा. संख्या 11013/9/2014-स्था.-ए-III, दिनांक 12.05.2021 को जारी किया गया।
- (ii) नॉवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों पर कार्यालय आदेश - केन्द्र सरकार के कार्मिकों की उपस्थिति दिनांक 03.05.2021, 06.05.2021 और 28.05.2021 के कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से जारी की गयी।